द्वारा:– ई–मेल/ व्हाट्सएप्प ग्रुप
अति महत्वपूर्ण

उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय,
यू0सी0एफ0 सदन, दीपनगर रोड़, बिष्णु विहार,
अजबपुर कलां, देहरादून , पिन कोड 248001

पत्रांक 191 /एचक्यू/संचालन–II/ 2020, दिनांक 23 जून, 2020

1– मण्डलीय प्रबन्धक(संचालन/तकनीकी),
उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून/नैनीताल/टनकपुर–मण्डल।

2– उप महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम,आई0एस0बी0टी0,देहरादून/दिल्ली।

2– समस्त डिपो सहायक महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड परिवहन निगम,

विषय:–कोरोना वायरस (COVID-19) अनलॉक की अवधि में उत्तराखण्ड परिवहन निगम के नियमित बस संचालन हेतु कार्ययोजना तथा अग्रिम दिशा–निर्देश के संबंध में।

उपरोक्त विषयक कोरोना वायरस (COVID-19) अनलॉक की अवधि में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशों के द्वारा निर्गत गाईड लाईन/ दिशा–निर्देश तथा शासन के पत्र सं0 169/Ix-1/(24)2020 दिनांक 23 जून, 2020 के कम में उत्तराखण्ड परिवहन निगम का बस संचालन दिनांक 25.06.2020 से प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। कोरोना वायरस (कोविड़–19) के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार तैयारियां पूर्ण कर बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाये:–

1– निगम बस को संचालन हेतु मार्ग पर भिजवाने से पूर्व डिपो में बस को पूर्ण रूप से सेनेटाइज किया जायेगा तथा कार्यशाला प्रभारी एवं स्टेशन प्रभारी द्वारा सम्बन्धित बस की डियूटी स्लिप पर प्रमाणित किया जायेगा कि बस सही प्रकार से सेनेटाईज की जा चुकी है।

2– संचालन से सम्बन्धित प्रत्येक बस का चालक सीट के पीछे का हिस्सा प्लास्टिक सीट से पार्टीशन किया जायेगा।

3– बस संचालन प्रारम्भ करने से पूर्व प्रत्येक चालक/परिचालक के द्वारा सेनेटाईजर, फेस मास्क, हैण्ड ग्लब्स का उपयोग में लाया जायेगा।

4– प्रत्येक बस प्रारम्भिक बस स्टेशन से पर्याप्त यात्री उपलब्ध होने पर ही संचालित की जायेगी। डियूटी पर तैनात स्टेशन प्रभारी को बस स्थगन का अधिकार होगा।

5– बस में बैठने वाले प्रत्येक यात्री को फेस मास्क पहनना एवं शारीरिक दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा अन्यथा बस में बैठना प्रतिबन्धित रहेगा।

6– प्रत्येक बस के अन्दर एवं बाहर यात्रियों हेतु " यात्रियों हेतु यात्रा के समय फेस मास्क पहनना अनिवार्य है " का स्टिकर लगवाया जायेगा।

7– परिचालक द्वारा सभी यात्रियों को बस में बैठाने से पूर्व यात्री के हाथ सेनेटाइज किये जायेगें।

8– जब अन्तर्राज्यीय बस संचालन प्रारम्भ होगा, तो बस परिचालक द्वारा यात्रियों का विवरण रखा जायेगा तथा मार्ग से लौटने के पश्चात् डिपो में उक्त सूचना स्टेशन प्रभारी को उपलब्ध कराई जायेगी।

9– प्रत्येक बस स्टेशन को प्रतिदिन सेनेटाइज किया जायेगा।

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA
Scanned with Cam

10– परिचालक द्वारा बस में सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत के अनुसार टू सीटर पर एक यात्री एवं थ्री सीटर पर दो यात्री ही शारीरिक दूरी बनाते हुये बैठाया जायेगा।

11– प्रत्येक बस स्टेशन के इन्ट्री प्वांईट पर एक कार्मिक की डियूटी शिफ्ट वाईज लगाई जायेगी, जिसके द्वारा स्टेशन के अन्दर आने वाले प्रत्येक यात्री की थर्मल स्कीनिंग का कार्य किया जायेगा।

12– बस स्टेशन से कोई भी बस सेवा सायं 07.00 बजे के बाद प्रस्थान नहीं करेगी।

13– बैगवाईज /टिकटवाईज अनुभाग में तैनात कार्मिक, कैशियर , समयपाल एवं बस संचालन से सम्बन्धित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को फेस मास्क एवं हैण्ड ग्लब्स को अनिवार्य रूप से पहन कर डियूटी करना होगा।

14– निगम के मार्ग निरीक्षण एवं चैकिंग दल का यह दायित्व होगा कि वह लगातार अपनी टीम के साथ बस निरीक्षण के समय इन समस्त बिन्दुओं का भी निरीक्षण करेंगे एवं कोई अनियमितता होने पर उच्च प्रबन्धन को अवगत करायेंगे।

15– नियमानुसार यात्रा के लिये आवश्यक पंजीकरण संबंधी कार्यवाही की औपचारिकता यात्री द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेगी।

दिनांक 25.06.2020 से प्रथम चरण में बस संचालन हेतु तीनों मण्डलों निम्न प्रकार मार्गों का निर्धारण किया गया है:–

A- देहरादून–मण्डल

कम सं0	मार्ग का नाम	डिपो
1	देहरादून से मसूरी	पर्वतीय
2	देहरादून से बड़कोट	
3	देहरादून से पुरोला–जखोल	
4	देहरादून से टिहरी	
5	देहरादून से उत्तरकाशी	
6	देहरादून से जोशीमठ	
7	देहरादून से वीरोंखाल	
8	देहरादून से श्रीनगर	
9	सहिया से हरिद्वार	
10	कालसी से हरिद्वार	
11	देहरादून से हरिद्वार	ग्रामीण
12	देहरादून से कालसी	
13	देहरादून से विकासनगर	
14	देहरादून से ऋषिकेश	ग्रामीण jnnurm
15	देहरादून से ऋषिकेश एम्स	
16	देहरादून से रूड़की	बी

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA
Scanned with Cam

ऋषिकेश से देहरादून	ऋषिकेश
ऋषिकेश से हरिद्वार	
ऋषिकेश से गोपेश्वर	
ऋषिकेश से उत्तरकाशी	
ऋषिकेश से पौड़ी	

हरिद्वार से भटवाड़ी	हरिद्वार
हरिद्वार से जोशीमठ	
हरिद्वार से रोहडू (उत्तराखण्ड सीमा तक)	
हरिद्वार से गंगोत्री	
हरिद्वार से देहरादून	
हरिद्वार से ऋषिकेश	
हरिद्वार से रूड़की–नारसन	

हरिद्वार से लक्सर–बिरला	हरिद्वार jnnurm
हरिद्वार से ऋषिकेश एम्स	
हरिद्वार से रूड़की–देहरादून	
हरिद्वार से लक्सर–देहरादून	
हरिद्वार से चुड़ियाला	
हरिद्वार से रूड़की–झबरेड़ा	
हरिद्वार से रूड़की–नारसन	

रूड़की से देहरादून	रूड़की
रूड़की से हरिद्वार–ऋषिकेश	

B- नैनीताल–मण्डल

मार्ग का नाम	डिपो
रानीखेत से हल्द्वानी	रानीखेत
रानीखेत से रामनगर	

अल्मोड़ा से अटपेशिया	अल्मोड़ा
अल्मोड़ा से बागेश्वर	
अल्मोड़ा से टनकपुर	
अल्मोड़ा से हल्द्वानी	

Scanned with Cam

9	भवाली से नैनीताल–चनौती
10	भवाली से नैनीताल–नौकुचियाताल
11	भवाली से नैनीताल–घोड़ाखाल
12	रामनगर से टनकपुर
13	रामनगर से हल्द्वानी
14	रामनगर से नैनीताल
	रामनगर से काशीपुर–जयपुर
15	काशीपुर से टनकपुर
16	काशीपुर से किच्छा
17	काशीपुर से बाजपुर–हल्द्वानी
18	काशीपुर से हल्द्वानी
19	रूद्रपुर से हल्द्वानी
20	रूद्रपुर से टनकपुर
21	रूद्रपुर से हल्द्वानी–टनकपुर
22	रूद्रपुर से काशीपुर–खटीमा
23	हल्द्वानी से नैनीताल
24	हल्द्वानी से चनौती
25	हल्द्वानी से बबियाड़
26	हल्द्वानी से जंगलियागांव
27	हल्द्वानी से पिथौरागढ़
28	हल्द्वानी से दुनागिरी–कुकुछीना
29	हल्द्वानी से टनकपुर
30	हल्द्वानी से चोरगलिया–टनकपुर

Scanned with Cam

4	टनकपुर से हल्द्वानी	टनकपुर

5	लोहाघाट से हल्द्वानी	लोहाघाट
6	लोहाघाट से नैनीताल	

7	पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा	पिथौरागढ़
8	पिथौरागढ़ से हल्द्वानी	
9	पिथौरागढ़ से नैनीताल	
10	पिथौरागढ़ से धारचुला–टनकपुर	

नोटः–1– संचालित मार्गों पर यात्रियों की उपलब्धता अनुसार सेवाएं /फेरे घटाये बढ़ाये जा सकते हैं।

2– उपरोक्त निर्धारित मार्गों पर प्रथम चरण में मात्र निगम बसें ही संचालित की जायेंगी।

3– राज्य के अन्दर अन्य मार्गों पर यात्रियों की उपलब्धता अनुसार सेवायें संचालित किए जाने हेतु मण्डलीय प्रबन्धक(संचालन) अधिकृत होगें।

4– उपरोक्त निर्देशों को अनुपालन दिनांक 24.06.2020 की सायं तक करना सुनिश्चित किया जाय।

5– कोरोना वायरस से बचाव संबंधी सामग्री को डिपो स्तर पर कय किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का शत्–प्रतिशत् अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या निगम मुख्यालय को दैनिक रूप से प्रातः 11.00 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(रणवीर सिंह चौहान)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–सचिव, परिवहन , उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2–आयुक्त, गढ़वाल–सम्भाग, पौड़ी/कुमांऊ–सम्भाग, नैनीताल।

3–समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक ,उत्तराखण्ड।

4–समस्त अधिकारी/नोडल अधिकारी,निगम मुख्यालय,देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रबन्ध निदेशक

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

Scanned with Cam